R.M.M. Law College - Saharsa.

P-1	Manvendra Mandal part-time Lecturer	Subject - Contract-1 part-1

अप्राप्तव्य द्वारा की गयी संविदाओं का प्रभाव

अप्राप्तवय व्यक्ति संविदा करने के लिए अक्षम होता है। अतः ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाने वाली संविदाएँ आरम्भतः शून्य होती हैं, शून्यकरणीय नहीं। हलाँकि विधि की दृष्टि में संविदाओं को शून्य माना जाता है। यहाँ तक कि अवयस्क व्यक्ति अपनी ओर से संविदा करने के लिए किसी व्यक्ति को भी प्राधिकृत नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में अवयस्क द्वारा किये गये संविदाओं का प्रभाव इस प्रकार दर्शाया जा सकता है-

(1) ऐसे करार पूर्ण रूप से शून्य होते हैं— अप्राप्तवय द्वारा की गई कोई भी संविदा या करार पूर्ण रूप से आरम्भतः शून्य (void-ab-initio) होते हैं। इन्हें अवयस्क व्यक्ति के विरुद्ध chargeable नहीं किया जा सकता। एक अवयस्क द्वारा की गयी निम्नांकित संविदाओं को पूर्ण रूप से शून्य माना गया है—

(i) साधारण संविदा (ii) अकेले द्वारा निष्पादित प्रामिसरी नोट्स, (iii) किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से निष्पादित प्रामिसरी नोट्स (iv) वचन-पत्र (v) गिरवी (vi) बन्धक (vii) विक्रय (viii) पट्टा आदि

उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष का मामला महत्वपूर्ण है। इसमें 20 वर्ष की आयु के एक अप्राप्तवय व्यक्ति ने, जिसके लिए न्यायालय ने संरक्षक एवं प्रतिपाल्य नियुक्त कर रखा था एक साहुकार के पक्ष में 20,000 रुपये के बन्धक विलेख निष्पादित कर दिया। साहुकार द्वारा वस्तुतः उसे 8000 रुपये ही दिये गये थे। इस transaction के कुछ ही समय पूर्व संरक्षक द्वारा साहुकार को बन्धककर्ता के अप्राप्तवय होने की सूचना दे दी गयी थी। अवयस्क की ओर से बन्धक को अपास्त करने के लिए वाद लाया गया, जिसका यह कहकर विरोध किया गया कि यह एक शून्यकरणीय संविदा होने से अप्राप्तवय द्वारा उधार ली गयी धनराशि को धारा 64 एवं 65 के अधीन वापस लौटाया जाना चाहिए। प्रिवी कौंसिल ने यह धारण किया कि यह संविदा पूर्ण रूप से शून्य है, अतः उधार लिये गये धन को वापस लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन अवयस्क व्यक्ति के विवाह से सम्बन्धित किसी संविदा को लोकनीति के विरुद्ध नहीं माना गया है जहाँ मंगनी अर्थात सगाई समारोह (Betrothal ceremony) के समय पुत्री अवयस्क रही हो लेकिन विवाह के समय वह वयस्क हो जाने वाली हो।

Scanned with CamScanner

P_2 अप्राप्तवय द्वारा की गयी संविदाओं का प्रभाव

(4) अनुसमर्थन → अप्राप्तवय द्वारा की गयी संविदा आरंभतः शून्य होती है, अतः प्राप्तवय का हो जाने के बाद भी वह व्यक्ति उसका अनुसमर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन यदि कोई अवयस्क व्यक्ति अपनी आवश्यकता के दौरान कोई व्यवसाय या सेवा कर लेता है और वयस्क होने के बाद भी उसे चालू रखना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। इस दशा में वह उस व्यवसाय के समस्त संव्यवहारों के लिए उत्तरदायी होगा चाहे वे संव्यवहार उसके अवयस्कता काल के ही क्यों न हो। इसी प्रकार यदि कोई अवयस्क अपनी अवयस्कता के दौरान किसी की सेवाएँ प्राप्त करने का करार करता है और वयस्कता के पश्चात भी उसे चालू रखता है तो उसे अवयस्कता के समय के बकाया सेवा शुल्क का संदाय करना होगा।

(3) विनिर्दिष्ट अनुपालन → किसी ऐसी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करवाया जा सकता, जिसके पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम नहीं हो।

(5) संदत्त की गयी राशि की वापसी का दावा – यदि कोई व्यक्ति प्राप्तवय होने पर अपने ऋणों का संदाय कर देता है जो उसने अप्राप्तवय रहने के दौरान उपगत किये थे वह ऐसे संदत्त की गयी राशि की वापसी का दावा नहीं कर सकता है।

(6) वयस्क एवं अवयस्क द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित दस्तावेज का प्रभाव → जहाँ कोई दस्तावेज वयस्क एवं अवयस्क व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया है, वहाँ ऐसा दस्तावेज अवयस्क व्यक्ति के विरुद्ध शून्य होगा।

(6) लाभ के लिए अवयस्क द्वारा की गयी संविदा – अवयस्क के लाभ के लिए की गयी संविदा enforceable होती है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि अवयस्क द्वारा संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया जाय अर्थात प्रतिफल का संदाय कर दिया जाय।

Scanned with CamScanner

P-3 अप्राप्तवय द्वारा की गयी संविदाओं का प्रभाव

इसी प्रकार अवयस्क व्यक्ति अपने लिए सम्पति क्रय कर सकता है तथा विक्रेता को सम्पति हस्तान्तरित करने के लिए आबद्ध कर सकता है। यह बात अलग है कि अवयस्क की सम्पति का विक्रय नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अवयस्क व्यक्ति अन्तरणकर्ता तो नहीं हो सकता, लेकिन अन्तरिती (Transferee) अवश्य हो सकता है।

(7) आवश्यकताएँ (Necessaries) → (क) धारा 68 के अनुसार—"यदि संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को, जिसका संपालन करने के लिए वह वैधरूपेण बाध्य है, उसकी हैसियत के अनुकूल आवश्यक वस्तुएँ, यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है तो वह व्यक्ति जिसने ऐसा प्रदान किया है, ऐसे असमर्थ व्यक्ति की सम्पति में से अपनी भरपाई कराने के लिए हकदार है।"

चूँकि अवयस्क व्यक्ति संविदा करने में असमर्थ होने के कारण संविदात्मक दायित्व से विमुक्त रहता है। यदि अवयस्क को जीवन के अनुकूल आवश्यक वस्तुएँ, प्रदान की जाय तो उन वस्तुओं के मूल्य की वसूली सम्पति में से की जा सकती है। इसके लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। लेकिन यदि अवयस्क सम्पतिहीन है तो आवश्यकताओं को प्रदाय करने वाला व्यक्ति भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन आँग्ल विधि में अवयस्क व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है।

मूल प्रश्न यह है कि आवश्यकताएँ या आवश्यक वस्तुएँ क्या है? आवश्यक वस्तुएँ वे हैं जिनके अभाव में अवयस्क वास्तव में जीवित नहीं रह सकता, जैसे- रहने का आवास, भोजन या स्वास्थ्यकारी वस्त्र, शिक्षा, विधिक खर्च इत्यादि। इसके अलावा कुछ वैकल्पिक आवश्यकताएँ सम्पति की सुरक्षा, आश्रित परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित कार्य आदि का क्रम आता है।

चैपल बनाम कपूर के वाद में आवश्यक वस्तु के सम्बन्ध में न्यायाधीश लार्ड बैरन एल्डरसन अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है "आवश्यक वस्तुएँ वे हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति युक्ति युक्त रूप से जीवित नहीं रह सकता, जैसे भोजन, वस्त्र, निवास स्थान"। बेचूसिंह बनाम बलदेव प्रसाद के वाद में न्यायालय ने अवयस्क के विरुद्ध आदेश पारित किया और कहा कि "अवयस्क के पिता की मृत्यु पर धार्मिक संस्कार में किये गये खर्च एवं प्रदान की गयी वस्तुओं का मूल्य उसकी सम्पति से वसूला जा सकता है।"

Scanned with CamScanner

P-5 अप्राप्तवय द्वारा की गयी संविदाओं का प्रभाव

(8) पुनर्स्थापन का साम्यिक सिद्धान्त (Equitable doctrine of Restitution)

(i) क्या कपटी अवयस्क के पास वह सम्पत्ति या वस्तु है जिसे उसने धोखे से प्राप्त कर लिया है?

(ii) क्या उसने उस सम्पत्ति या वस्तु को हस्तान्तरित करके धन में परिवर्तित कर लिया है?

इस प्रश्न का निराकरण यह है कि यदि उसके पास वह सम्पत्ति या वस्तु उपलब्ध है तथा हस्तान्तरण द्वारा सम्पत्ति को धन में परिवर्तित कर लिया गया है तो उस अवयस्क पर उपरोक्त सिद्धान्त लागू होगा तथा उसे वस्तु एवं धन दोनों वापस करना चाहिए। इस संदर्भ में स्टाक्स बनाम विल्सन तथा खानगुल बनाम लाखन सिंह का वाद उल्लेखनीय है।

यदि कोई अवयस्क अपनी उम्र का fraudulent Misrepresentation करता है तो वह Law of torts के अन्तर्गत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अवयस्क को उत्तरदायी ठहराने के लिए संविदा को अपकृत्य में बदला नहीं जा सकता।

(9) विबन्ध का सिद्धान्त (Doctrine of Estoppel) →

यदि अवयस्क अपने को वयस्क बताते हुए संविदा के अन्तर्गत कुछ धन या वस्तु प्राप्त करता है तथा बाद में ~~अवयस्कता~~ अवयस्कता का तर्क देकर संविदा को अमान्य करना चाहता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अन्तर्गत उसे ऐसा करने से रोका जा सकता है।

विवाह की संविदा –

समाज में परिस्थितियों के अनुसार विधि भी परिवर्तित होती रहती है, लेकिन कुछ परम्पराएँ हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। माँ-पिता एवं संरक्षक अवयस्क बच्चों की शादी तय कर लेते हैं, यद्यपि यह कार्य विधि के विपरीत होता है, लेकिन सामान्य नियम यह है कि अवयस्क चाहे तो दूसरे पक्षकार के विरुद्ध विवाह की संविदा प्रवर्तनीय करा सकता है लेकिन दूसरा व्यक्ति अवयस्क के विरुद्ध ऐसा नहीं कर सकता।

Scanned with CamScanner